वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)
भाग– II
(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या :– FP/CG/OTHERS/25041/2017

7	परियोजना/स्कीम का स्थान	मॉ कुदरगढी देवी धाम में रोपवे निर्माण
i	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	छत्तीसगढ़
ii	जिला	सूरजपुर
iii	वन प्रभाग	सूरजपुर वनमण्डल सूरजपुर
iv	वनोत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि	0.797 हे.
v	वन की कानूनी स्थिति	सूरजपुर वनमण्डल – 0.797 हे. संरक्षित वनभूमि – 0.621 हे. राजस्व वनभूमि – 0.176 हे.
VI	वनस्पति का घनत्व	वन घनत्व – 0.5
VII	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ.आर.एल., एफ.एफ.आर.एल.–2 मी. पर परिगणना और एफ.आर.एल. 4 मी. भी संलग्न किये जाए।	एफ.आर.एल. एवं एफ.आर.एल. से 2 मीटर तथा 4 मीटर में आने वाले वृक्षों की गणना आवश्यक नहीं है। क्योकि प्रकरण सिंचाई से संबंधित नहीं है।
viii	भू–क्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशील पर संक्षिप्त टिप्पणी	कुदरगढ रोपवे निर्माण हेतु आवेदित संरक्षित वनभूमि में भू –क्षरण संवेदनशील सामान्य है।
ix	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी.	कुदरगढ रोपवे निर्माण वनक्षेत्र के अंदर ही है। वन के बाहर प्रस्तावित नहीं है। अतः जानकारी निरंक है।
x	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान,वन्यजीव अभ्यारण्य, जैब मंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व हाथी, कोरीडोर, आदि का भाग है (यदि हाँ, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियाँ अनुबंधित की जाए)	नही है।
xi	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है, यदि हाँ/तो तत्संबंधी ब्यौरा दें ।	नही है।
xii	क्या कोई सुरक्षित पुरात्तवीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।	नही है।
8	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग–1 कालम 2 मे प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नही तो, जाँचे गये विकल्पों के ब्यौरो सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग –1 कॉलम 2 में प्रस्तावित वनभूमि की मॉग न्युनतम एवं आवश्यक है।
9	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है । (हाँ/नही) यदि हाँ तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दे, क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी चल रहे है।	नहीं है।

10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	भारत सरकार, पर्यावरण एवं मंत्रालय नई दिल्ली के दिशा निर्देश अनुसार 1.000 हे. से कम व्यपवर्तन प्रस्ताव में वैकल्पिक वृक्षारोपण की आवश्यकता नहीं है। अतः प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम की आवश्यकता नहीं है।
i.	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वनक्षेत्र आसपास के वन से इसकी दूरी भूखण्डों की संख्या प्रत्येक भूखण्ड का आकार।	आवश्यक नहीं है।
ii	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर/ अवक्रमित वन क्षेत्र और आस पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप ।	आवश्यक नहीं है।
iii	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढाँचा आदि।	आवश्यक नहीं है।
iv	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय।	आवश्यक नहीं है।
v	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जाए)	आवश्यक नहीं है।
11	जिला उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम 7 (xi,xii), 8 और 9 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	आवेदित क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ नही पाई जाती है न ही आवेदित क्षेत्र में कोई सुरक्षित पुरात्तवीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। वनभूमि की मांग प्रस्तावित परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। आवेदक संस्थान द्वारा वन अधिनियम 1980 का किसी भी प्रकार से उल्लंघन नही किया गया है।
12-	विभाग/जिला प्रोफाईल	
i.	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	जिले का कुल 5181.855 वर्ग कि.मी. भौगोलिक क्षेत्र है।
ii.	जिले का वनक्षेत्र	जिले का कुल 1655.722 वर्ग कि.मी. वनक्षेत्र है।
iii.	मामलो की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र ।	26 मामलो मे 2585.464 हेक्टर
iv.	1980 में जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरकः	4676.481 हे.
	क. दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वनभूमि।	निरंक
	ख. वनेत्तर भूमि पर ।	18.680
v.	वर्ष 2018–19 तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति :–	
	क. वनभूमि पर।	4657.801 हे.
	ख. वेनेत्तर भूमि पर	18.680 हे.
13	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।	माँ कुदरगढी देवी धाम के दर्शनार्थ रोपवे निर्माण की स्थापना से संबंधित प्रकरण को स्वीकृत करने की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक : 02-06-2020

स्थान : कुदरगढ़

J.R.BHAGAT
(I.F.S.)
Divisional Forest Officer
Surajpur Division,Surajpur(C.G.